शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

वाल्मिकी समाज में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता

प्राप्तिः 24.05.2022
स्वीकृतः 06.06.2022

42

डॉ० संगीता अठवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
मो०ला०सु०वि०, उदयपुर (राज०)
ईमेलः *sangeetathwal@gmail.com*

सारांश

भारतीय समाज विशेषकर हिन्दूओं में जाति के प्रश्न बहुत पुराने हैं। यह ऐसी हकीकत है जिसके कारण हिन्दू धर्म को अनेकानेक आलोचनाएं झेलनी पड़ी है। इसका सहारा लेकर कथित ऊँची जातियाँ शताब्दियों से निम्नस्थ जातियों का शोषण करती आई है। इस कारण कुछ आलोचक जाति प्रथा को भारतीय समाज का कलंक मानते हैं वर्तमान समय में विभिन्न जातियों में गतिशीलता देखने को मिलती है। सामाजिक गतिशीलता शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक सांस्कृतिक आदि रूपों में देखने को मिल रही है। इस गतिशीलता ने जाति के परम्परागत आधारों को कमजोर किया है तथा समाज में तीव्रगति से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं।

मुख्य बिन्दु

सामाजिक गतिशीलता, शैक्षणिक गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता, परम्परागत व्यवसाय, महिला शिक्षा, कुरीतियाँ, पदसोपान, अस्पृश्यता, सामाजिक परिवर्तन।

प्रस्तावना

गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंश है। सामाजिक गतिशीलता आधुनिक औद्योगिक नगरीय समाजों की ही विशेषता है। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों ने सामाजिक गतिशीलता को तीव्रता प्रदान की है। नगरवाद ने कार्य की दशाओं, नए व्यवसायों तथा नए अवसरों को जन्म दिया है साथ ही समाज को नए प्रकार का संस्तरण, वर्ग व्यवस्था, श्रम विभाजन एवं सामाजिक विभेदीकरण प्रदान किया है। अंग्रेजों के शासन काल में सामाजिक गतिशीलता के कुछ नए रूप उभरकर सामने आए। उस समय शिक्षा एवं संस्कृति का भी भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। इससे परम्परागत भारतीय समाज में जाति–पांति के बंधन कुछ कमजोर पड़ने लगे। लोग उच्चशिक्षा प्राप्त करने नए–नए व्यवसायों एवं नौकरियों में अपने आपको लगाने लगे, जाति और व्यवसाय का सम्बन्ध टूटने लगा। अब निम्न जातियों के बहुत से व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर आदि बनने लगे। नए व्यवसायों ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में योगदान दिया। अनेक नए वर्गों का उदय हुआ। पश्चिमी शिक्षा, नगरीय आवास, तथा वैतनिक नौकरी ने एक ओर प्रत्येक जाति में नए विभाजन पैदा कर दिए हैं तो दूसरी ओर विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी को कम किया है। अब शिक्षा और नए व्यवसायों

ने लोगों को अपनी सामाजिक प्रस्थिति और साथ ही अपने रहन–सहन की दशाओं को सुधारने के अवसर दिए हैं। प्रदत्त की बजाय अर्जित प्रस्थिति के महत्व को बढ़ा दिया, यद्यपि वे अब भी अपनी जाति से जुड़े हुए हैं।

भारतीय समाज उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित अनेकानेक इकाईयों एवं व्यवस्थाओं पर आधारित रहा है जिनमें सर्वाधिक प्रमुख व अनोखी व्यवस्था जाति प्रथा है। इसके आधार पर हिन्दू समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त रहा है। इस जातीय संस्तरण में निम्नतम स्थान हरिजनों अथवा अनुसूचित जातियों का है जिन्हें परम्परागत रूपमें अन्त्यज या अछूत कहा जाता है। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत अस्पृश्य किसी वर्ण के अन्तर्गत नहीं आते थे वरन् घृणास्पद पेशों को करने वाले अन्त्यज निर्वासित समूहों के रूपमें जाने जाते थे। आधुनिक काल में इन अछूतों व अस्पृश्यों की गणना पंचम वर्ण के रूप मे की जाती है।

प्रस्तुत शोध उदयपुर शहर के वाल्मिकी समाज के संदर्भ में किया गया है। वाल्मिकी समाज में शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिशीलता का अध्ययन उनकी शैक्षणिक स्थिति, परम्परागत व्यवसायों में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ तथा परिवर्तन की प्रकृति क्या है, अन्य जातियों के साथ उनके सम्बन्ध किस प्रकार के हैं, महिला शिक्षा और विभिन्न कुरीतियों का अध्ययन इस शोध का मुख्य उद्देश्य है साथ ही तीन पीढ़ीयों में व्यावसायिक गतिशीलता की दृष्टि से किस प्रकार के परिवर्तन घटित हो रहे हैं, वो किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यही प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है।

अध्ययन पद्धति एवं अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध विषय वाल्मिकी समाज में शैक्षणिक एंव व्यावसायिक गतिशीलता से सम्बन्धित है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत उदयपुर शहर की 4 वाल्मिकी बस्तियों (1) गांधीनगर, मल्लातलाई (2) अम्बामाता (3) बीडा–खांजीपीर, (4) ग्लासफैक्टी का चयन किया गया है। प्रत्येक बस्ती से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर 50 उत्तरदाताओं को अध्ययन में शामिल किया गया है जिसमें 25 महिलाएं व 25 पुरूष उत्तरदाता है। इस प्रकार कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। यह सभी उत्तरदाता युवा वर्ग के है तथा 20 वैयक्तिक अध्ययन भी शामिल किया गया है। इस प्रकार शोध अध्ययन में 220 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है। निदर्शन में 18 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के उत्तरदाताओं का चयन किया गया। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुए कुल (200 + 20) उत्तरदाताओं को निदर्श बनाया गया।

गत 10 वर्षो में भारत में वाल्मिकी समाज पर कुछ समाजशास्त्रीय साहित्य का सृजन हुआ है। इन अध्ययनों के अनुसार सामान्य वाल्मिकीयों में सांस्कृतिक परिवर्तन तो हुआ है तथापि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बहुत कम मात्रा में हुआ है। नगरों में कुछ वाल्मिकी शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् सरकारी नौकरी प्राप्त कर स्थायी रूप से बस गए है तथापि 1978 में प्रो. श्यामलाल द्वारा जोधपुर में वाल्मिकी समुदाय पर किया गया अध्ययन इस बात का उल्लेख करता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वाल्मिकीयों में कुछ भौतिक परिवर्तन तो हुए हैं, परन्तु उनमें उदग्र गतिशीलता का अभाव रहा है। यद्यपि उन्होंने कुछ शैक्षणिक योग्यता हासिल की है किन्तु फिर भी वे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व के हिन्दू समाज के निम्न भाग के रूप में ही बने हुए हैं। यद्यपि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में छुआछूत की गंभीरता लगभग समाप्त हो गई है, किन्तु जाति जनित रूढ़िवादिता के अवशेष, अस्पृश्य एवं सवर्ण हिन्दू दोनों में ही विद्यमान है।

सर्वप्रथम आकलन 1978 के प्रारंभ में किया गया था। सन् 2000 में प्राप्त किए गए आंकडे इस बात का उल्लेख करते हैं कि वर्तमान में भी वाल्मिकी समाज की स्थिति 1978 से बेहतर नहीं है लेकिन इससे समान्य निष्कर्षों की रूपरेखा पर्याप्त स्पष्ट होती है। वाल्मिकी समाज की समस्याओं को समझने में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अधिक युक्तिसंगत हैं। यद्यपि राजनीतिक उठापटक में उसकी उपेक्षा हुई है।[1]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान में अछूतों और दलितों के उत्थान के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। दलितों को शिक्षा, धर्म, राजनीति, व्यवसाय आदि विभिन्न क्षेत्रों में समानता का अवसर दिया गया। जिनका लाभ उठाकर दलितों में चेतना उत्पन्न हुई और वे शिक्षित होकर अपना परम्परागत व्यवसाय भी छोड़ने को तत्पर हुए हैं तथा उनमें सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता परिलक्षित हो रही है।

वर्तमान में उदयपुर शहर के वाल्मिकी समुदाय में भी सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता देखने को मिल रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

शैक्षणिक उपलब्धियों, उच्चस्तरीय गतिशीलता को उत्पन्न व तीव्र करने का महत्वपूर्ण कारक है। सोराकिन ने दो माध्यमों की पहचान की है जिनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाऍं गतिशीलता को उत्पन्न व विकसित करती हैं। प्रथम शैक्षणिक संस्थाएं व्यक्ति को निम्नतम परिस्थिति से उच्चतम परिस्थिति की तरफ ले जाती है। द्वितीय माध्यम शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा गतिशीलता की उस अनुभूति से सम्बद्ध है, जो समाज के उच्च स्तर को प्राप्त है। निम्नस्तरीय समूहों को इस लाभ से वंचित कर दिया जाता है। अतः ऐसे समाजो मे सभी सदस्यों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं है। एक तीसरा माध्यम यह भी है जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाए "प्रायोजित गतिशीलता" के माध्यम से गतिशीलता की अनुमति प्रदान करती है। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से शोषित व्यक्तियों को आरक्षण के द्वारा इस प्रकार की गतिशीलता के सम्पर्क में लाया जा सकता है।

उत्तरदाता अपने बच्चों को योग्यतम शिक्षण दिलाने में रुचि रखते हैं, इस हेतु अब गैर तकनीकी शिक्षण के स्थान पर तकनीकी शिक्षण (व्यावसायोन्मुखी) की लोकप्रियता बढ रही हैं। तकनीकी शिक्षण के लिए अँग्रेजी का ज्ञान अपेक्षित है। इस आवश्यकता को देखते हुऐ प्रारंम्भ से ही बच्चों को अँग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेजने की प्रवृति भी बढ रही है।

वाल्मीकी समुदाय की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता के संदर्भ मे किए गये इस शोध मे निम्नांकित निष्कर्ष उभर कर सामने आए हैं–

1 अधिकांश उत्तरदाता उच्च माध्यमिक तक पढे हैं तथा कुछ अधिस्नातक है इससे यह सिद्ध होता है कि वाल्मिकी समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त जागरुकता आई है तथा शैक्षणिक गतिशीलता बढ रही है।

2 कुछ उत्तरदाता परम्परागत सफाई का कार्य करते है तथा अधिकांश उततरदाता अन्य व्यवसाय करते है। अतः परम्परागत व्यवसाय में कमी आई है तथा व्यावसायिक गतिशीलता बढ रही है।

3 अधिकांश उत्तरदाताओं के बच्चे उच्च माध्यमिक तक पढे हुऐ हैं तथा कुछ प्राथमिक स्तर पर पढ रहे हैं क्योकि सभी उत्तरदाता 18–35 वर्ष की आयु के है अर्थात् तृतीय पीढी में शैक्षणिक गतिशीलता अधिक है।

4 अधिकांश उत्तरदाता अपने बच्चों को स्नातक व स्नातकोत्तर तक पढाना चाहते है तथा साथ–साथ तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा भी दिलाना चाहते है।

5 अधिकांश उत्तरदाता यह स्वीकार करते है कि वर्तमान में वाल्मिकी जाति के शैक्षणिक स्तर में परिवर्तन हो रहा है तथा शिक्षा से उसमें जागरुकता आई है तथा शैक्षणिक गतिशीलता का उदग्र रुप अर्थात तीन पीढीयों में गतिशीलता देखने को मिल रही है।

6 सामाजिक जागरुकता, सरकारी नौकरी के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा बढानें, छुआछूत और भेदभाव में कमी, परम्परागत व्यवसाय के प्रति उदासीनता इन कारणों से शैक्षणिक गतिशीलता बढ रही है ऐसा अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है।

7 वाल्मिकी समाज में महिला शिक्षा के प्रति रुझान बढ रहा है। उत्तरदाताओं के अनुसार यदि महिलाएँ शिक्षित होंगी तो वे भी नौकरी करके घर में आर्थिक योगदान दे सकती हैं। अधिकांश उत्तरदाता अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तथा उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्राध्यापक आदि बनाना चाहते हैं।

8 अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि आरक्षण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए जिससे उन्हें समाज में अपनी स्थिति को ऊँचा उठाने का अवसर मिल सके। अधिकांश ने बच्चों की शिक्षा, उच्च सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण का लाभ उठाया है किन्तु उनका यह भी मानना है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग की कुछ चुनी हुई जातियाँ ही उठा रही हैं।

9 सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि वाल्मिकी समाज में वर्तमान में कुरीतियाँ विधमान है। इनमें पर्दा प्रथा, मृत्युभोज, मादकद्रव्य व्यसन आदि मुख्य है। ये कुरीतियाँ महिलाओं की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता में बाधक है।

10 वाल्मिकी समाज के अधिकांश उत्तरदाता उच्च जातियों की प्रथाओं तथा परम्पराओं का पालन करते हैं साथ ही अपनी जाति के तीज–त्यौहार भी मनाते हैं। करवाचौथ, जन्माष्टमी, कजली तीज, गणगौर आदि उच्च जातियों की तरह मनाते हैं।

11 अधिकांश उत्तरदाताओं के पिता परम्परागत व्यवसाय करते है अर्थात प्रथम पीढी में व्यावसायिक गतिशीलता कम है किन्तु इन सभी उत्तरदरताओं में कोई भी परम्परागत व्यवसाय नहीं करता है अर्थात द्वितीय पीढी में व्यावसायिक गतिशीलता परिलक्षित होती है। शिक्षा, परम्परागत व्यवसाय से घृणा, सरकारी नौकरी आदि के कारण इन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को नही अपनाया।

12 अधिकांश उत्तरदाता सफाई का कार्य पसन्द नहीं करते है। तथा उनका मानना है कि इस (वाल्मीकी) जाति में जन्म लेने के कारण उनका केरियर प्रभावित हुआ है। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है तथा समाज के अन्य वर्ग इसे अच्छा नहीं मानते है और हीन दृष्टि से देखते है।

13 जातिगत व्यवसाय के स्थान पर वे सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय या निजी कम्पनी में काम करना पसंद करते हैं। इनमें से अधिकांश ने अन्य सहायक व्यवसाय अपना लिया है क्योंकि उनकी दृष्टि में यह जीवन को उत्तम बनाने के लिए आवश्यक है।

14 परम्परागत व्यवसाय बदलने से अधिकांश उत्तरदाताओं की आय में वृद्धि हुई हैं तथा जातिगत हीन भावना में कमी आई है। इनमें से कोई भी अपने बच्चों से यह कार्य नही करवाना चाहता है।

15 अधिकांश उत्तरदाताओं का यह मानना है कि सफाई का कार्य उनका परम्परागत कार्य है जोकि जाति विशेष के लिए बना है तथा अशिक्षितों के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है इसलिए विवश होकर यह कार्य करना पडता है।

16 वाल्मीकी समुदाय में व्यावसायिक गतिशीलता बढ रही है। ये लोग अपने परम्मपरागत व्यवसाय से मुँह मोड रहे हैं। जिसमे शिक्षा का प्रसार सबसे महत्तपूर्ण कारण है। इसके अलावा परम्परागत व्यवसाय का निम्न होना, सामाजिक जागरुकता रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि कारण है।

17 अधिकांश उत्तरदाता जो परम्परागत व्यवसाय को छोडकर अन्य व्यवसाय कर रहे है वो अपने पिता के परम्परागत व्यवसाय की तुलना में अपने व्यवसाय को ऊँचा मानते हैं तथा अपने बच्चों को भी अन्य नौकरी या व्यवसाय करवाना पसंद करते है।

18 अधिकांश उत्तरदाता अपने बदले व्यवसाय से संतुष्ट है तथा उन्हें लगता है कि उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति उनके पिता की स्थिति की तुलना में सुधरी है।

19 अधिकांश शिक्षित उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाएँ परम्परागत व्यवसाय को नहीं कर रही है। जबकि कुछ महिलाएँ सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहीं है। कुछ महिलाएँ शिक्षित होकर अन्य नौकरियों में संलग्न है।

20 सर्वाधिक उत्तरदाता यह चाहते है कि उनकी संतान डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्राध्यापक आदि बने। न्यूनाधिक उत्तरदाता परम्परागत पेशा ही अपनाने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है।

21 अधिकांश उत्तरदाता अपने परिवार में पत्नियों, पुत्रियो, बहुओं आदि को आर्थिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में है ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके।

22 जिन उत्तरदाताओं ने परम्परागत के स्थान पर अन्य व्यवसाय को अपनाया है उनका मानना है कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है तथा उच्चजातियों के उनके प्रति छुआछूत और भेदभाव में कमी आई है तथा इनके साथ सम्बन्धों में मधुरता व समरसता आई है किन्तु इसके बावजूद जातिगत पद सोपान मे निम्नस्तर पर ही है।

23 सर्वाधिक उत्तरदाता का मानना है कि वाल्मिकी समाज में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अब समाप्त हो चुकी है कुछ का मानना है कि अन्य व्यवसायों को अपनाना कठिन है क्योंकि समाज के अन्य वर्गो के लोग उसे स्वीकार नहीं करते है।

24 अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि समाज के जो लोग शैक्षणिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से उच्च स्थिति में आ जाते है वे अपने ही समुदाय के निम्न प्रस्थिति वाले लोगों से दूरी बना लेते है। कुछ लोग ऐसे भी है जो समाज के साथ कदम मिलाकर चलते है।

25 गतिशीलता उन्हीं व्यक्तियों के बीच सर्वाधिक है जिनकी आर्थिक स्थिति उच्च है।

26 गतिशीलता के तीनों रुप व्यक्तिगत, सामूहिक और अन्तः पीढी गतिशीलता इस समुदाय में विद्यमान है।

27 अधिकांश उत्तरदाताओं को दलितों से सम्बन्धित कल्याण कार्यक्रमों व अत्याचार अधिनियमों की जानकारी है तथा वे इनका लाभ भी उठा रहे है।

28 अधिकांश उत्तरदाता अपने समाज की बस्ती में ही रहना पसंद करते है। कुछ यहाँ नहीं रहना चाहते क्योंकि उनके उच्चजाति व वर्ग के मित्र वहाँ आना पसंद नहीं करते है तथा उनकी प्रतिष्ठा में कमी आती है।

29 वर्तमान समय मे विवाह समारोहों का आयोजन भी उच्चजातियों की तरह खर्चीला हो गया है तथा दहेज भी अधिक दिया जाता है यद्यपि सामूहिक विवाह का भी प्रचलन जोरों पर है।

30 सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि वाल्मिकी समुदाय में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता आने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, आर्थिक स्थिति सुदृढ हुई है तथा जीवन स्तर में परिवर्तन आया है।

सुझाव

वर्तमान समय में उदयपुर शहर के वाल्मिकी समाज में शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिशीलता परिलक्षित हो रही है किन्तु फिर भी इनमें सामाजिक जागरुकता का अभाव है। कुप्रथाएँ अभी भी विद्यमान है। जातिगत पद सोपान में निम्नस्तर पर है तथा महिला शिक्षा कम है। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी के अभाव में लाभ नहीं उठा पाते है। शोधकर्ता ने अपने प्रस्तुत शोध में जो तथ्य संकलन किया उनका विश्लेषण करके जो निष्कर्ष निकाले उनके आधार पर वाल्मिकी समाज के सुधार व उद्धार के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते है–

1 सर्वप्रथम इनको उच्च शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि ये अपमानजनक व्यवसाय से मुक्ति पा सकें।

2 सरकारी नौकरियों, विधानसभा व संसद में तथा स्कूल, कॉलेज आदि में कम से कम एक सीट सिर्फ वाल्मिकी जाति के व्यक्ति के लिए आरक्षित होनी चाहिए ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सके।

3 इनके लिए मुफ्त कानूनी तथा वैधानिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए।

4 समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि समाज निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो सके।

5 सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न सहायता शिविर कार्यक्रमों का आयोजन इन बस्तियों में करना चाहिए ताकि इनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके।

6 महिलाओं को अधिकाधिक शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे घर परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर सके तथा अपने बच्चों को योग्य नागरिक बना सके।

7 सरकार को विभिन्न आवासीय कॉलोनियाँ बनाकर उसमें सभी जाति तथा वर्गो के लोगों को आवंटित करना चाहिए। सभी जाति के लोगों के साथ रहने से मेलजोल बढेगा व छुआछूत में कमी आयेगी।

8 समय–समय पर सरकार द्वारा चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर इनके स्वास्थ्य की मुफ्त जॉच की जानी चाहिए तथा साफ–सफाई का महत्व बताना चाहिए ताकि गंदा कार्य करने से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके।

9 सफाई कर्मचारियों के बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए ताकि धन की कमी के कारण उनकी शिक्षा बाधित ना हो।

10 स्वयं का व्यवसाय शुरु करने के लिए सरकार द्वारा अधिकाधिक ऋण देना तथा उसके नियमों में भी शिथिलता देनी चाहिए ताकि वे स्वरोजगार अपना सके।

11 महिलाओं को सिलाई, कढाई, बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अचार, पापड, बडी आदि बनाने व हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जा सकता है ताकि वे जातिगत व्यवसाय को त्यागकर इससे मुक्ति प्राप्त कर सके।

12 सफाई के कार्य को पूर्णतया मशीनीकृत किया जाना चाहिए ताकि वे गंदगी से होने वाली बीमारियों से बच सके तथा गंदे कार्य से होने वाली घृणा से बच सके।

संदर्भ

1. श्यामलाल. (2004). ''सामाजिक न्याय एवं दलित राजनीति.'' सबलाइम पब्लिकेशनः जयपुर।
2. व्यास, गोपाल वल्लभ. (2002). ''मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन.'' हिमांशु पब्लिकेशन्सः उदयपुर (राज.)।
3. गहलोत, जगदीश सिंह. (1998). ''राजस्थान की जातियां और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन.'' श्री जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थानः जोधपुर (राज.)।
4. घुर्ये, गोविन्द सदाशिव. (1986). ''जाति वर्ग और व्यवसाय.'' पोपुलर प्रकाशनः बम्बई।
5 शर्मा, रामशरण. (1952). ''शूद्रों का प्राचीन इतिहास.'' राजकमल प्रकाशनः नई दिल्ली।
6. सिंह, रामगोपाल. (1986). ''भारतीय दलित : समस्याएं एवं समाधान.'' बी. आर. पब्लिसिंग कॉर्पोरेशनः नई दिल्ली।
7. जगजीवनराम. (1981). ''भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या.'' राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेटः नई दिल्ली।
8. अम्बेडकर, भीमराव. (2005). नवीन संस्करण ''शूद्र कौन और कैसे.'' गौतम बुक सेन्टरः नई दिल्ली।
9. शाह, एस. एल. (2005). ''भारत में जाति एवं वर्ण व्यवस्थाः कब, क्यों और कैसे.'' सरिता बुक हाउसः नई दिल्ली।